# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

**अपील/डिक्री/टीए/4928/2006/कोटा**

1– श्रीमति भिरावा बाई बेवा चमनलाल मृतक नाम तर्क वारिस रेस्पो० सं०2 लगायात 11
2. मु० कलावती पुत्री चमनलाल
3. मु० राज पुत्री चमनलाल
4. मु० पुष्पा पुत्री चमनलाल
5. मु० रचना पुत्री चमनलाल
6. मु० मंजू पुत्री चमनलाल
7. मु० शान्ति पुत्री चमनलाल
8. मु० गीता पुत्री चमनलाल
9. मु० सुषमा पुत्री चमनलाल
10. पवन पुत्र चमनलाल
11. पंकज पुत्र चमनलाल
12. कृष्णा देवी पत्नि किशनलाल मृतक नाम तर्क वारिस रेस्पो० सं० 12/2 से 12/6
12/1 दिलीप पुत्र किशनलाल
12/2 प्रदीप पुत्र किशनलाल
12/3 मु0 सरोज पुत्री किशनलाल
12/4 मु० चित्रा पुत्री किशनलाल
12/5 मु० अनिता पुत्री किशनलाल
समस्त जाति आहुजा निवासी नयापुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

.....अपीलार्थीगण

**बनाम**

1. जसवन्त कौर पत्नि गुरुबक्स सिंह नाम तर्क
2. बलदेव पुत्र गुरुबक्स सिंह
3. निर्भय सिंह पुत्र गुरूवक्स सिंह
4. महेन्द्र कौर पुत्री गुरुबक्स सिंह
   समस्त जाति सिख निवासी पाटलिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
5. गुरमीत कौर पुत्री गुरूबक्स सिंह पत्नि महीपाल सिंह जाति सिख निवासी वर्कशाप कॉलोनी रेलवे कोटा।

6. मु० अमरजीत कौर पुत्री गुरूबक्स सिंह पत्नि सुरजीत सिंह जाति सिख निवासी ग्राम बरूनी तहसील किशनगंज जिला बारां।
7. मु० समरपाल पुत्री गुरूबक्स सिंह पत्नि रूपेन्द्र सिंह जाति सिख जाति सार्दुल शहर जिला श्री गंगानगर।

.....असल रेस्पोडेन्ट

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

.....तरतीबी रेस्पोडेन्ट

**खण्ड–पीठ**
**श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य**
**कमला अलारिया, सदस्य**

उपस्थित :
श्री अविनाश माथुर, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री जयपाल चावला, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

**निर्णय**

दिनांकः04.05.02026

1– हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–224 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–07–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 एवं 63(4) के अन्तर्गत एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी ग्राम पाटलिया तहसील दीगोद में सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 27 की 63 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित थी जो राजस्व रेकॉर्ड में चमनलाल एवं किशनलाल अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के पति व पिता के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति व 2 लगायत 7 के पिता गुरूबक्ससिंह ने मौखिक रूप से 14000/– रूपये में अपीलार्थी संख्या 1 के पति व 2 लगायत 11 के पिता चमनलाल व किशनलाल जो कि अपीलार्थी संख्या 12 के पति व 12/1 से 12/6 के पिता से खरीद किया था। तभी से गुरूबक्ससिंह

उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे थे तथा उक्त भूमि पर अपना निवास भी बना लिया था। चमनलाल व किशनलाल ने जमीन की कीमते बढ़ने के कारण गुरूबख्ससिंह के पास लिखित में भूमि खरीद का कोई प्रमाण नहीं होने एवं राजस्व रेकॉर्ड में अपना नाम अंकित होने का फायदा उठाते हुये सन् 1982 में उक्त भूमि को पुनः अपनी बताना आरम्भ कर दिया तथा चमनलाल व किशनलाल ने गांववालों की मदद से गुरूबक्ससिंह को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया, जिस पर भूमि के कब्जे के संबंध में विवाद पैदा हो गया और थाना सुल्तानपुर ने धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही कर भूमि कुर्क कर ली और न्यायलय के आदेश से तहसीलदार दीगोद को दिनांक 14-10-1982 को भूमि पर सिसीवर नियुक्त किया गया। तहसीलदार दीगोद ने दिनांक 15-10-1982 को भूमि पर कब्जा ले लिया। तब भी भूमि गुरूबक्ससिंह के कब्जे में थी। एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रत्यर्थीगण का कब्जा होने से वह खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी हो गया तथा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(4) के अन्तर्गत समाप्त हो चुके है क्योंकि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण का दिनांक 15-10-1982 से विवादित आराजी पर स्पष्ट रूप से कोई कब्जा नहीं रहा है। परीक्षण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय/डिक्री दिनांक 31-01-2006 से प्रत्यर्थीगण/वादीगण का कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार मानते हुये खातेदार घोषित किया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 04-07-2006 के द्वारा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मंडल में प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के आदेश विधि विरुद्ध दिनांक 31.01.2006 (उपखण्ड अधिकारी, दीगोद) एवं 04.07.2006 (राजस्व अपील अधिकारी, कोटा) के आदेश तथ्य, साक्ष्य एवं स्थापित विधिक सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं, अतः निरस्त किये जाने योग्य हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी के

कब्जे काश्त को लेकर गुरूबक्स सिंह द्वारा विवाद करने पर धारा 145 सीआरपीसी के तहत तहसीलदार रिसीवर कायम हुआ, जिस दिनांक 15-10-1982 को भूमि का कब्जा प्राप्त किया और दिनांक 03-08-1993 तक रिसीवरी में रही। यह कब्जा न्यायालय का कब्जा माना जावेगा न किसी पक्षकार का। इस कारण दिनांक 15-10-1982 से दिनांक 03-08-1993 तक का कब्जा प्रत्यर्थीगण/वादीगण का मानते हुये जो निर्णय एवं डिक्री प्रदान किया वह निरस्तनीय है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने केवल मौखिक बयान के आधार पर प्रत्यर्थीगण/वादीगण विवादित आराजी पर प्रतिकूल कब्जा मानकर निर्णय प्रदान करने में घोर त्रुटिकारित की है। प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा एडवर्स पजेशन को सिद्ध करने के आवश्यक तत्व वादपत्र में अंकित नहीं किये, ना ही उन्हें साक्ष्य से सिद्ध किया था, मात्र कथन कर देने मान से एडवर्स पजेशन सिद्व नहीं होता है ना ही धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के समाप्त होते है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने कानूनी प्रावधानों का गलत विवेचन कर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने सन् 1968 में नीलामी में आराजी खरीदी थी जिसके विरूद्ध भंवरलाल ने उसे निरस्त करने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे उन्होंने राजस्थान सरकार को प्रेषित कर दिया और उपनिवेशन मंत्री ने अपने आदेश 1970 में बेचान को सही माना और तहसीलदार को बकाया राशि लेकर चिमनलाल व किशनलाल को खातेदार दर्ज करने का नामान्तरकरण जारी करने का आदेश दिया व 1971 में भंवरलाल ने चिमनलाल व किशनलाल के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय मेंरिट याचिका प्रस्तुत की, जिसमें चिमनलाल व किशनलाल का कब्जा मानते हुये केस को रिमाण्ड किया था कि सरकार भंवरलाल को सुनकर आदेश प्रदान करे। सन् 1976 में उपनिवेशन मंत्री ने चिमनलाल व किशनलाल के पक्ष में निर्णय दिया था। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण का यह कथन कि सन 1970 में 14000 रूपयों में मौखिक विक्रय गुरूबक्ससिंह को कर दिया था, सर्वथा असत्य था। जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था किन्तु न्यायालय ने इस कथन को सत्य मानते हुये निर्णय पारित कर दिया। जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जाकर प्रत्यर्थीगण/वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावे।

4. प्रतिउत्तर में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रत्यर्थीगण को मौखिक इकरारनामे के आधार पर विवादित आराजियात पर कब्जा देते हुये बेचान किया था तब से प्रत्यर्थीगण/वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वर्ष 1982 में पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ था जिसमें फौजदारी मुकदमा चला था। धारा 145 सीआरपीसी के अनुसार वादग्रस्त आराजी रिसिवरी में दे दी गई थी और मुआवजे के आधार पर प्रत्यर्थीगण/वादीगण के कब्जे में चलती रही तत्पश्चात वर्ष 1993 से धारा 145 का निर्णय प्रत्यर्थीगण/वादीगण के पक्ष में हुआ तथा सैशन न्यायालय द्वारा भी प्रत्यर्थीगण/वादीगण के पक्ष में कब्जा मानते हुये निर्णित किया था और इस अवधि में जो भी मुआवजे की राशि जमा की गई थी का भुगतान प्रत्यर्थीगण/वादीगण को किया गया। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण को बेदखल करने के लिये कोई दावा पेश नहीं किया। इस प्रकार जो दस्तावेज एवं न्यायालय सहायक कलक्टर तथा सैशन न्यायालय में जो निर्णय हुआ है, के अनुसार प्रत्यर्थीगण/वादीगण का वर्ष 1982 से पहले कब्जा रहा है और उसके पश्चात भी कब्जा माना है तथा इस अवधि के दौरान रिसिवर अवधि के दौरान जो भी लाभ अर्जित किया गया था उसका भुगतान भी प्रत्यर्थीगण/वादीगण को किया गया है। प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेजा/साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे उन दस्तावेजों/साक्ष्यों के आधार पर प्रत्यर्थीगण का कब्जा साबित होता है जिससे धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलार्थी/प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार समाप्त हो गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। बहस के अन्त में प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

5– उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं आक्षेपित निर्णयों सहित पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का भी अवलोकन व परिशीलन किया गया।

6– पत्रावली का संपूर्ण विवेचन व विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत खातेदारी अधिकार, स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी पूर्व खसरा नं0 27 रकबा 63 बीघा 11 बिस्वा जो राजस्व रिकार्ड में चमनलाल व किशनलाल अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम दर्ज थी, को

वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति व 2 ता 7 के पिता गुरूबख्श सिंह ने मौखिक रूप से अपीलार्थीगण संख्या 1 के पति व 2 ता 11 के पिता चमनलाल व किशनलाल जो कि अपीलार्थीगण संख्या 12/1 के पति व 12/2 से 12/7 के पिता थे, से खरीद की थी तथा खरीद के दिन से गुरूबख्श सिंह उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे थे। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण विवादित आराजी की कीमत बढने के कारण गुरूबख्श सिंह के पास लिखित में भूमि का कोई प्रमाण नहीं होने एवं राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित होने का फायदा उठाते हुये भूमि को पुनः अपनी बताते हुये उसे बेचान करना चाहते थे। विवादित आराजी के कब्जे के संबंध में पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न होने के कारण थानाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद के समक्ष धारा 145 सी0आर0पी0सी0 के तहत कार्यवाही की गयी जिसमें न्यायालय ने भूमि कुर्क करने के आदेश के साथ तहसीलदार, दीगोद को रिसिवर नियुक्त कर दिया। तत्पश्चात निर्णय दिनांक 30.07.93 के द्वारा प्रत्यर्थीगण/वादीगण का कब्जा घोषित करते हुये रिसिवर शुदा भूमि का कब्जा गुरूबख्श सिंह के वारिसान के सुपुर्द कर दिया गया। परीक्षण न्यायालय ने उक्त आधार पर प्रत्यर्थीगण/वादीगण का कब्जा मुखालफाना (adverse possession) मानते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2006 से प्रत्यर्थीगण/वादीगण को खातेदार घोषित करते हुये वाद डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.07.2006 से खारिज कर दिया। राजस्व मण्डल स्तर पर द्वितीय अपील के माध्यम से विवादित आराजी बाबत् राजस्व रिकार्ड के अनुरूप एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत् रखते हुए पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि पर अधिकारों का विनिश्चयन किया जाना अपरिहार्य हो जाता है।

7– प्रकरण में प्रत्यर्थीगण के पति/पिता गुरूबख्श सिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिये मौखिक बेचान चिमनलाल व किशनलाल से प्राप्त किया जाना अभिलिखित करते हुए अपीलार्थीगण के विरूद्ध कब्जा मुखालफान (adverse possession) के आधार पर खातेदारी अधिकारों की मांग की है तथा इस संबंध में वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा खरीद की दिनांक से निरन्तर होना अभिलिखित किया गया है। परन्तु प्रत्यर्थीगण/वादीगण अपने उक्त कथन के समर्थन न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि विवादित

आराजी का बेचान प्रत्यर्थीगण को किया गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 के विवेचन में यह माना है कि यद्यपि वादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या गवाह पेश नहीं किया गया जिसके सामने विवादित आराजी का सौदा 1970 में रूपये 14000/– में मौखिक रूप से हुआ हो। चिमनलाल व किशनलाल विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार थे तथा गुरूबख्श सिंह उनके यहा नौकर (हाली) था। चिमनलाल व किशनलाल ने विवादित आराजी पर मकान बना रखे थे जिसमें उनके मवेशी बंधते थे तथा हाली के रहने की व्यवस्था थी। गुरूबख्श हाली होने तथा विवादित आराजी को मुनाफादार के आधार पर काश्त करने को आधार अपना कब्जा बता रहा है। न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद के द्वारा धारा 145 सी0आर0पी0सी0 के तहत पारित निर्णय दिनांक 30.07.1993 के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि वक्त कुर्की व उसके दो माह पूर्व भी विवादित आराजी पर जिसका भौतिक रूप से कब्जा होगा उसी को विवादित आराजी पर कब्जेदार माना जायेगा। इस आधार पर विवादित आराजी पर गुरूबख्श का कब्जा मानते हुये न्यायालय द्वारा उसे रिसीवरीशुदा भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया। धारा 145 सी0आर0पी0सी0 कार्यवाही एक समरी कार्यवाही होती है इस के तहत खातेदार या मालिक के खातेदारी अधिकारी समाप्त नहीं किये जा सकते है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त आधार लेते हुये गुरूबख्श का कब्जा विवादित आराजी पर मानते हुये उसे खातेदार घोषित किया है जबकि गुरूबख्श सिंह द्वारा विवादित आराजी पर प्रतिकूल कब्जे बाबत न्यायालय के समक्ष कोई ठोस आधार एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये तथा केवल मात्र मौखिक खरीद के आधार पर ही विवादित आराजी पर कब्जे के आधार खातेदारी अधिकारी प्राप्त करना चाहता है। उपरोक्त आधार से यह सिद्ध होता है कि गुरूबख्श कब्जा मुखालफान (adverse possession) के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है।

8– इसी क्रम में विचारणीय बिन्दु यह है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जे मुखालफान (Adverse possession) के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है या नहीं। इस संबंध में राजस्व मण्डल, अजमेर की वृहदपीठ द्वारा यह अभि–निर्धारित किया जा चुका है कि प्रतिकूल कब्जे (Adverse possession) के आधार पर किसी पक्ष को किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।

इस संबंध में आरआरडी 2011 पेज 508 में स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है किः–

> "Rajasthan Tenancy Act, Section 232 - The questions as referred by Division Bench of this court for consideration of the Full Bench -(1) Whether Khatedari rights can be conferred on a trespasser on the basis of adverse possession; (2) whether tenancy rights extinguished u/s 63(1)(iv) of the Act of 1955 creates khatedari rights on trespasser on the basis of adverse possession or after extinction tenancy rights revert to the land holder-the State Govt; (3) Whether Board of Revenue has legislative powers to lay down a new law for grant of khatedari rights over and above the Act; (4) whether the judgment of the Larger Bench reported in 1991 RRD1 should be revoked or annulled in light of the provisions of the Act of 1955 - Answer given by the Full Bench (1) in the view of this Bench Larger Bench in its judgment '1991 RRD 1' has not laid down a good law because the Rajasthan Tenancy Act does not have any provision to confer tenancy right to the adverse possessor - Conferment of tenancy rights is against the basic spirit of this special legislation; (2) In the opinion of this Bench extinguishment of tenancy rights create no khatedari rights on the basis or adverse possession; (3) In the opininon of this Bench, the Board does not have legislative power to lay down a new law for grant of khatedari rights; (4) In the opinion of this Bench, the judgment of Larger Bench reported in 1991 RRD 1 being not a good law, deserves to be set aside - The matter may now be placed before the concerned Bench for decision of appeal according to law."

इसी क्रम में उल्लेखनीय यह भी है कि राजस्व मंडल की वृहद पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 30–8–2018 ‘‘सरजू बनाम पतरो’’ में यह अभिनिर्धारित किया है कि जिन प्रकरणो में Adverse possession के मामले लम्बित है उनमें भी 2011 आरआरडी पेज 508 में प्रदत्त मत लागू होगा, क्योंकि "Appeal is a contiuation of suit" है। उक्त प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमियों में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। प्रकरण में चूंकि प्रत्यर्थीगण की मुख्य मांग ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों को प्रदत्त करने की रही है। जिसे उपरोक्त विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत् रखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपरोक्त विधिक स्थिति के विपरीत जाकर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार प्रत्यर्थीगण के पति/पिता गुरूबख्श को घोषित किया है। अतः उक्त

आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णय व समवर्ती निष्कर्ष निर्णय स्थापित रखने योग्य नहीं है।

9– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों क्रमशः न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2006 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2006 अपास्त किये जाते है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(कमला अलारिया)**
**सदस्य**

**(अजीत सिंह राजावत)**
**सदस्य**